(25)

॥ श्री ॥

माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश
प्रकरण कमांक /2015 रिवीजन

लक्ष्मीनारायण पिता मांगीलालजी पाटीदार
निवासी ग्राम मौलाना तहसील बडनगर
जिला उज्जैन म.प्र.

.....आवेदक

विरूद्ध

1 सुरेशचन्द्र पिता मांगीलालजी पाटीदार
निवासी एम.आई.जी. सेक्टर इन्द्रानगर उज्जैन
2 राजेन्द्र पिता मांगीलालजी पाटीदार
निवासी विष्णु कॉलोनी भंवरकुआ रोड, इन्दौर
3 रमेशचन्द्र पाटीदार पिता मांगीलालजी पाटीदार
निवासी ग्राम मौलाना तहसील बडनगर जिला
उज्जैन म.प्र.

.....अनावेदकगण

रिवीजन धारा 50 भू.रा.सं.

न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन के प्रकरण कमांक 17/निगरानी/14–15 आदेश दिनांक 30/09/2015 के विरूद्ध निगरानी ।

मान्यवर महोदय,

आवेदक की और से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है–

01 आवेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बडनगर के प्रकरण कमांक 42/08–09 अपील आदेश दिनांक 26/03/2010 रिमांड आदेश के विरूद्ध निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय उज्जैन के न्यायालय मे दिनांक 09/04/2010 को प्रस्तुत की गई है । उक्त निगरानी प्रकरण कमांक 17/14–15 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 30/09/2015 अनुसार धारा 50 की शक्तिया राजस्व मंडल को प्राप्त होने से निरस्त की गई है ।

02 यह कि जब अपर कलेक्टर उज्जैन को निगरानी का श्रवणाधिकार क्षेत्र प्राप्त नही था तब निगरानी को निरस्त नही करते हुए वापस करना था । जिस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है उसे निगरानी निरस्त करने अथवा स्वीकार करने का अधिकार भी नही है । इस बिन्दू पर विचार नही करने मे वैधानिक त्रुटी की है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3815–तीन/2015 जिला उज्जैन

लक्ष्मीनाराय विरूद्ध सुरेशचन्द्र आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–12–2015	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी बडनगर के आदेश दिनांक 26–3–10 के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष दिनांक 9–4–10 को निगरानी पेश कर दी थी, परन्तु अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 30–9–15 के द्वारा निगरानी प्रचलन योग्य नहीं मानकर निरस्त करने में त्रुटि की है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर के कार्यविभाजन कमांक स्थापना/2015/5928 दिनांक 14–7–15 से अपर कलेक्टर को अंतरिम हुआ। आवेदक के तर्क अनुसार अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण 42/अपील/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 26–3–10 के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर को दिनांक 9–4–10 को प्रस्तुत की गई है। दिनांक 30–12–2011 को संशोधन अनुसार म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 49(3) के परन्तुक अनुसार *''परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रवृत होने के पूर्व के समस्त ऐसे मामले, जो अपील या*	

18 December 2015

पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा अधीनस्थ राजस्व अधिकारियां को प्रतिप्रेषित किए गए हैं, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा सुने तथा विनिश्चित किए जाएंगे।''

स्पष्ट है कि आवदेक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी दिनांक 30–12–11 को हुये संशोधन के पूर्व अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसकी सुनवाई का अधिकार अपर कलेक्टर को संशोधन के पूर्व की भांति था, परन्तु अपर कलेक्टर ने निगरानी प्रचलन योग्य नहीं मानने में त्रुटि की है। अतः अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 30–9–15 निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर कलेक्टर को प्रकरण में उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर गुण–दोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य